(8)

सामान्य अंश (जिला

संख्या: — — /I(2)/2012-06(1)

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चम्पावत, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, एवं उधमसिंह नगर।

ऊर्जा अनुभाग–2,

देहरादून: दिनांक 23 जुलाई

विषय:– वित्तीय वर्ष 2012–13 में के तहत जिला योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन विद्युतीकरण कार्यों (सामान्य अंश) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीसीएल का पत्र संख्या 328/ उपाकालि/ निदे0(वित्त) जिला योजना दिनांक 17 के क्रम में शासनादेश संख्या 794/I(2)/2012-06(1)/35/06 दिनांक 24.05.2012 को निरस्त करते हुए मुझे [illegible] का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखा अनुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या [illegible] जिला (सामान्य अंश) में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को अनुमोदित कार्यों हेतु ऋण के रूप में ₹ [illegible].00.00 आठ करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्नक–1 में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार आपके निवर्तन [illegible] जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे जो [illegible] की जिला सेक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा [illegible] स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा [illegible] परिव्यय सीमा के अधीन ही किया जायेगा। व्यय जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय के अनुसार [illegible] उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 30.03.2012 से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित [illegible]

2– उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी [illegible] के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध [illegible] यथोचित माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के जिला स्तरीय [illegible] कर नियमानुसार धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि [illegible] कार्यों एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

4– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक, [illegible] मितव्ययता के विषय में आदेश व तदविषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। [illegible] उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली तथा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा

5– आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण पर 6.5% की दर निर्धारित है। अतः [illegible] ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है [illegible] 10% अतिरिक्त [illegible] की वापसी 10 समान किश्तों में प्रतिवर्ष माह अप्रैल में (ब्याज सहित) की जायेगी तथा प्रथम किश्त [illegible] 2013 से प्रारम्भ होगी।

7– प्रश्नगत ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश [illegible] नाम, वाउचर संख्या, तिथि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

8– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करे ब्याज भी [illegible] महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर भेजें:–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान सं0, 3– जमा धनराशि किश्त ब्याज, 4– [illegible] एस0एल0आर0 का सन्दर्भ, 5– लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)